राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या	अपीलार्थी	प्रत्यर्थी विभाग	अधिवक्ता	प्रस्तुत करने की दिनांक	आलोच्य आदेश दिनांक
1. 2818/2025	रूपाराम	प्रमुख शासन सचिव, पंचायती राज, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।	डॉ. देवेन्द्र कुमार	19.05.2025	04.11.2024 (अनुलग्नक–1)
2. 2819/2025	प्रदीप कुमार				
3. 2820/2025	मनोहर सिंह राठौड़				

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. उपर्युक्त तालिका में वर्णित समस्त अपीलों की तथ्यात्मक स्थिति समान प्रकार की है और इनमें निहित विधि का प्रश्न भी समान है। अतः इन समस्त अपीलों को इस एकल आदेश द्वारा निस्तारित किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 2818/2024 रूपाराम बनाम प्रमुख शासन सचिव, पंचायती राज, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य के तथ्य विवेचित किये जा रहे हैं।

2. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।

3. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क किया कि अपीलार्थी वर्तमान में ग्राम विकास अधिकारी के पद पर ग्राम रतकुडोइया, पंचायत समिति, पीपाड़ सिटी, जोधपुर में कार्यरत है। उनका कथन है कि प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 06.04.2023 (अनुलग्नक–2) के द्वारा अपीलार्थी को विकलांगता बीएलवी (अंधे एवं कम दृष्टि) श्रेणी में ग्राम विकास अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया था। उनका कथन है कि सेवा के दौरान अपीलार्थी एवं अन्य कार्मिकों की पुनः जांच की गई, जिसमें वे अयोग्य पाये गये। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 30.07.2024 (अनुलग्नक–3) के द्वारा जिला स्थापना समिति की बैठक दिनांक 20.12.2023 बिन्दु संख्या 1 (ii) की पालना में ग्राम विकास अधिकारी भर्ती–2021 में चयनित अभ्यर्थियों का पुनः मेडिकल बोर्ड से दिव्यांगता जांच करवाने हेतु लिखा गया। अपीलार्थी की मथुरादास माथुर अस्पताल, जोधपुर द्वारा विकलांगता की जांच की गई थी। मथुरादास माथुर अस्पताल, जोधपुर एवं मेडिकल बोर्ड एम्स, जोधपुर की रिपोर्ट में विरोधाभास होने से प्रत्यर्थी संख्या 4 द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 3 को पत्र प्रेषित कर सवाई मानसिंह

अस्पताल, जयपुर से पुनः विकलांगता जांच करवाने के संबंध में लिखा गया। इस दौरान अपीलार्थी द्वारा परिवीक्षा अवधि पूर्ण करली गई। प्रत्यर्थी संख्या 5 के पत्र दिनांक 04.11.2024 (अनुलग्नक–1) के द्वारा संबंधित पंचायत समिति के ग्राम विकास अधिकारी को पत्र प्रेषित कर अपीलार्थी सहित पत्र में नामित अन्य कार्मिकों की सेवा को तब तक नियमित नहीं किया जावे, जब तक प्रत्यर्थी संख्या 3 से मागें गये मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हो जाता। उनका कथन है कि 10 माह से अधिक का समय हो चुका है। आदिनांक तक प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप अपीलार्थी को स्थायी किया जा सके। इस संबंध में अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जिस पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 04.11.2024 को अपास्त फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को दिनांक 06.04.2023 से स्थायीकरण प्रदान करते हुए समस्त पारिणामिक लाभ दिये जावे।

4. हमने अपीलार्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

5. बहस के दौरान अपीलार्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि अपीलार्थीगण द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

6. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थीगण 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में एक आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थीगण को दें। यहां पर यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिये नहीं दिये जा रहे हैं, वरन् मात्र इस आशय से दिये जा रहे हैं कि अभ्यावेदन को निर्धारित अवधि में नियमानुसार निस्तारित किया जावे।

7. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

8. मूल आदेश अपील संख्या 2818/2024 रूपाराम बनाम प्रमुख शासन सचिव, पंचायती राज, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य की पत्रावली में रखा जावे एवं इस आदेश के शीर्षक की तालिका में वर्णित अन्य समस्त पत्रावलियों में इस आदेश की छाया प्रति संलग्न की जावे।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य